

15/2  
2022

पत्तापत्री देना हुई। सायलान व सायलान वकील  
 उपस्थित नहीं। प्रकरण के बार-बार सायलान व  
 सायलान वकील को आवाप दिलवानी नहीं।  
 आवाप दिलवाने के बावजूद उपस्थित नहीं।  
 जिससे पक्कर होला है कि सायलान व सायलान  
 वकील प्रकरण जारी चलाने में रुचि नहीं ले रहे  
 हैं। अतः सु० नं० 24/18 का I सुमेर बनाम  
 रामकिशोर अदम हाथी व अदम पैरवी  
 शर्का का विचार पारित है। पत्तापत्री देना  
 सुमात्र ही कर नम्बर ही समाप्त।



उपखण्ड अधिकारी  
 डिप्टी न सिटी (करोली)